FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम बायतु

किसनाराम बनाम मूलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 183/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/6/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/08/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/08/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 02/12/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

02/12/2021

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत-कुड़ी की ढाणी में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित/ विपक्षीगण अनु०। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा-सेढ़ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मांढे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है। जिससे प्रार्थी को अपने सेढ़े का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढ़ो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1436 दिनांकः– 2/12/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. किसनाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 5
जाति जाट, निवासी जोंगुओं की ढाणी
पटवार मण्डल भीमड़ा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. मूलाराम पुत्र रतनाराम वगैरा 5
जाति जाट, नि. जोंगुओं की ढाणी
पटवार मण्डल भीमड़ा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 183 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – जोंगुओं की ढाणी, पटवार मण्डल – भीमड़ा, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 588, 595 रकबा क्रमशः 9.9426, 1.0274 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1437-41 दिनांकः– 2/12/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का भीमड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री किसनाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 5
4 विप्रार्थी श्री मूलाराम पुत्र रतनाराम वगैरा 5
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु